राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(पे–पेंशन)स्था/आकाशि/2018/ 385 दिनांक : 01/04/2019

प्राचार्य,
सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः– पे माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त व्याख्यांताओं को वेतन भुगतान के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्र क्रमांक एफ.1(पे–पेंशन) स्था/आकाशि/ 2018/35 दिनांक 01.08.2018, 4489 दिनांक 16.08.2018, 4490 दिनांक 21.08.2018, 83 दिनांक 17.09.2018 के द्वारा विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यो के उनके महाविद्यालय में रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त व्याख्याताओं को पे माइनस पेंशन के आधार पर पुनर्नियुक्त करने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा इस प्रकार पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त व्याख्याताओं के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि उक्तानुसार पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त व्याख्याताओं को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 156 के संदर्भ में वित्त (नियम अनुभाग) विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.12(6)FD (Rules) 2009 दिनांक 22.09.2014 के अनुसार उक्त पुनर्नियुक्त व्याख्याताओं को पुनः नियुक्ति पर देय शुद्ध वेतन (Pay minus pension) पर मंहगाई भत्ता राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर राज्य कर्मचारियों के लिए घोषित दरों पर देय होगा।

sd

संयुक्त निदेशक(HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वेब–साईट प्रभारी, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पूर्व में राजकीय महाविद्यालय नीमकाथाना को प्रेषित स्पष्टीकरण क्रमांक 1157 दिनांक 03.01. 2019 की प्रति सहित उक्त निर्देशों को वेबसाइट पर अपलोड करावें।

1/4/19

संयुक्त निदेशक(HRD)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

D:\HRD - Posting\Important Files 1\Pay- Pansin\Lett Pay Minus Pension.doc

2/20/2019 001.jpg

60

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः—एफ 1( )स्था/निकाशि/94/ पार्ट/1157 दिनांकः— 03/1/19

प्राचार्य,
राजकीय कन्या महाविद्यालय,
नीमकाथाना।

विषयः— पे माइनस पेशंन योजनान्तर्गत वेतन निर्धारण के संबध में ।

संदर्भः— आपका पत्रांक 3298 दिनांक 24.10.2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार लेख है कि प्रकरण में पे माईनस पेंशन के आनुसार वेतन का निर्धारण किया जाना है। राजस्थान सिविल सेवा पेशंन नियम 1996 के नियम संख्या 151 एवं 152 के अनुसार पे माइनस पेशंन तथा नियम 156 के अनुसार देय शुद्व वेतन (पे माइनस पेशंन)पर मंहगाई भत्ता का संदेय पुर्ननियुक्ति पर स्थिर किये गये शुद्व वेतन पर किया जाना उल्लेखित किया गया है। उपर्युक्त के अनुसार महाविद्यालय में पदस्थापित सहायक लेखाधिकारी—प्रथम से टिप्पणी लेकर अपने स्तर पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3.1.19
संयुक्त निदेशक,(HRD)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर।

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/govtkmgc%40gmail.com/QgrcJHsHmbjrksBbjgPfMLtgRcKBGTPCmMq?projector=1&messagePartId=0.1 1/1